न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठैड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :-53/2018/जिला भीलवाड़ा

श्री अमरा पुत्र माना
श्री रूपा पुत्र माना
श्री मांगू पुत्र रायमल
श्री गोपा पुत्र लालू
श्री प्रभूलाल पुत्र हिरालाल
श्री लादू पुत्र मोढा
श्री मांगीलाल उर्फ मांगू पुत्र रूपा
श्री केश्व पुत्र मोढा
श्री जयराम पुत्र मोढा
श्री किशोर पुत्र रामा
श्री कालू पुत्र मोढा भील
श्री मुकेश पुत्र सुवालाल सोनी, ग्राम मासिंगपुरा तह0 रायपुा जिला भीलवाड़ा
समस्त जाति गुर्जर, निवासी मासिंगपुरा,तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा।

--प्रार्थी

बनाम

श्री देवा पुत्र भज्जा
श्री नेनी पुत्री देवा
श्री छोगा पुत्र विशाल
श्री मांगू पुत्र केश्व
श्री सुवालाल पुत्र हजारी
श्री राजी पुत्री लच्छू
श्री छग्गू पुत्र चतरू
श्री नारायण पुत्र रूपा
श्री सुजा पुत्र मोढा
श्री नाथूलाल पुत्र उदा मृतक जरिये वारिसान 10/1,10/2,10/3 – मैना पुत्री नाथूलाल, सूरजमल पुत्र नाथूलाल,प्रकाश पुत्र नाथूलाल
मांगू पुत्र मोढा जाति सुथार निवासी ग्राम मासिंगपुरा, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्व निर्णय एस0डी0एम रायपुर, दिनांक 12.12.2015 प्रकरण संख्या 89/2015 उनवानी देवा बनाम छोगा में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:– श्री मदनलाल गुर्जर (अपीलांट अभि0)
राजकीय अभि0:– श्री आकाश पारीक

निर्णय   दिनांकः–28.02.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:55 IST
Reason: SelfAttested

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] सिंगपुरा तह0 रायपुर में विवादित आराजीयात खसरा [illegible] 1635/226, 1637/227,1639/228,1642/381,439,1659/443,44[illegible] [illegible]645/445,448,1648/449,445,457, 1663/1021,1655/1066,1067 कुल किता [illegible] कुल रकबा 3.36 हे0 एवं 1626/216,1629/216,1632/216, कुल किता 3 कुल रकबा 1.02 हे0 भूमि बाबत् रेस्पो0 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के

तहत अपीलांट व अन्य रेस्पो0 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर में प्रस्तुत थी। पक्षकारो के मध्य सीमा विवाद होने से पत्थरगढ़ी बाबत् उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपील क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किए गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड तलब किया जाकर रिकोर्ड प्राप्त किया गया।

अपीलांट के अनुसार बिना प्रार्थीगण को नोटिस जारी किये, बिना सुने एस0डी0ओ रायपुर ने प्रकरण को लोकअदालत के माध्यम से रेस्पो0 1 व 2 के पक्ष में निर्णित कर दिया। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। पक्षकारों के मध्य एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान टिटेन्सी एक्ट 1955 के तहत विचाराधीन है। फिर भी एस0डी0ओ द्वारा पत्थरगढ़ी का आदेश दिया गया जो गलत है। रेस्पो0 पत्थरगढ़ी के आदेश की आड़ में प्रार्थीगण की जमीन पर कब्जा करना चाहते है। अतः उपखण्ड अधिकारी रायपुर का निर्णय दिनांक 12.12.2015 को निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होनें कहा है कि एस0डी0ओ के आदेश दिनांक 12.12.2015 की जानकारी में दिनांक 11.06.2018 को पटवारी द्वारा बताने पर हुई। दिनांक 12.06.2018 को ही नकल के लिए आवेदन दिया गया। नकल दिनांक 19.06.2018 को प्राप्त हुई। न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 25.06.2018 को प्रस्तुत कर दी गई। अपील दर्ज करवाने में सद्भाविक कारणों से देरी की गई है। इसे क्षमा किया जायें। इसके समर्थन में अपीलांट द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलांट के शपथ पत्र को देखा गया। न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट द्वारा जानबूझकर देरी नहीं कि है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को अंदर मियाद मानते हुए स्वीकार किया जाता है। देरी को क्षमा किया जाता है।

अपील के साथ ही एक प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा कथन किए है कि अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्त होकर मौके पर काबिज है तथा रेस्पो0 एस0डी0ओ के उक्त आदेश की आड़ लेकर पत्थरगढ़ी की यदि करवा लेते है तो वह जबरन उसकी जमीन पर काबिज हो जायेगें जिसे उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः एस0डी0ओ के आदेश दिनांक 12.12.2015 की पालना को स्थगित किया जाकर मौके एवं रिकोर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। इसके समर्थन में अपीलांट द्वारा एक शपथ पत्र भी दिया है।

रेस्पो0 द्वारा अपने खातेदारी के खेतों की पत्थरगढ़ी का आदेश प्राप्त किया है। अतः अपीलांट की इस बात में जोर नहीं है कि वह इन खेतों का खातेदार है। सुविधा का संतुलन का बिन्दु और अपूरणीय क्षति का बिन्दु किस प्रकार उसके पक्ष में है, यह बात अपीलांट अपने पक्ष में सिद्ध नहीं कर पाया है। चूंकि पत्थरगढ़ी की पालना दिनांक 31.12.2016 को हो चुकी है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को मंगवाकर उसका अवलोकन किया गया। यह सही है मात्र दो पेशीयों में उक्त प्रकरण का निस्तारण एस0डी0ओ द्वारा कर दिया गया। आर्डरशीट मे निम्न अनुसार अंकित किया गया है–

दिनांक 26.11.2015–''पत्रावली पेश हुई–प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 ,128 एल आर एक्ट के तहत पेश हुआ में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ–प्रतिवादीगण / विपक्षीगण नकल जारी हुई। पत्रावली वाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण / विपक्षीगण दिनांक 12.12.2015 को पेश हुई।''

दिनांक 12.12.2016 को ''पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगण के अधिवक्ता पेश हुए। पत्थरगढ़ी का निर्णय पृथक से लिखा जाकर तामील पत्रावली किया गया। वाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से लिया। नोटशीट के केप्शन विपक्षी संख्या 10 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है'' अंकित किया हुआ है।

वर्तमान अपीलांट द्वारा यह कहा गया कि उ[illegible] नहीं हुई और न उसे सुना गया। उसकी तामील को देखा गया। वहां [illegible] लिखा हुआ [illegible] पिता रूपा जी घर से बाहर जाने से नकल व नोटिस उनकी धर्म [illegible] को किया गया।'' उक्त पत्र पर राजी देवी के अंगूठा निशानी दर्ज है और [illegible] 10.12.2015 की है। तहसीलदार द्वारा उक्त पालना को दिनांक 12.12.2015 को एस0डी0ओ रायपुर को भेजी है। प्रकरण संख्या 89 / 15 दर्ज किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:55 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकोर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.12.2016 को विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कर दी गई है। ''जिसमें यह अंकित किया गया है कि वादीगण को हिदायत दी गई कि कब्जा प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें जब तक न्यायालय में आदेश नहीं हो तब तक दखल ना करें। उक्त मौका पर्चा गिरदावर की उपस्थिति में बनवाया गया है। उक्त पालना रिपोर्ट एस0डी0ओ रायपुर को भेज दी गई। प्रकरण संख्या 89/15 में पत्थरगढ़ी के आदेश की पालना हेतु गिरदावर द्वारा जो तामील पत्र पत्रावली के साथ संलग्न कर भिजवाया है। उस पर मांगू पिता रूपा गुर्जर का नाम अंकित है क्रम संख्या 12 है और उसके नाम के आगे मांगीलाल शब्द लिखा हुआ है। जो उसके हस्ताक्षर है। मौका पर्चा के अनुसार विपक्षीगण मौजूद होते हुए भी मौका पर्चा पर अपनी अंगूठा निशानी नही की है।

बहस मौखिक उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने मुख्य रूप से तीन बातों पर जोर दिया है कि 1. तामील नही करवायी। 2. लोकअदालत का स्थल तय करके नहीं बताया गया। 3. एक दिन मे सुनवाई का निर्णय लिया गया।

यह सही है कि रेस्पो0 को भेजे गए नोटिस में लोकअदालत स्थल नहीं लिखा हुआ है और मात्र एक ही दिन में निर्णय कर दिया गया। मगर उपखण्ड अधिकरी द्वारा निर्णय से पूर्व तामील आवश्यक रूप से करवायी गई है। अपीलांट को भी प्रोपर तामील की है। पत्थरगढ़ी की पालना के दिन दिनांक 30.12.2016 पर भी अपीलांट मौके पर उपस्थित था। तथा उसे दिनांक 12.12.2015 के निर्णय का पूरा ध्यान था। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि उसको तामील नहीं करवायी गई है। अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से स्थगन आदेश में यह कहा गया है कि पत्थरगढ़ी की पालना को रोका जायें तथा एस0डी0ओ रायपुर के निर्णय दिनांक 12.12.2015 को निरस्त किया जायें। चूंकि पत्थरगढ़ी की पालना दिनांक 30.12.2016 को विधिवत तरिके से पक्षकारो की उपस्थिति में की जा चुकी है। अतः वर्तमान अपील अब चलने योग्य नहीं है। क्योकि यह इन्फैक्चुअस हो चुकी है।

निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कि चूंकि एस0डी0ओ रायपुर के आदेश दिनांक 12.12.2015 के निर्णय की पालना में पत्थरगढ़ी की जा चुकी है। अतः अब यह अपील इन्फैक्चुअस होने से चलने योग्य नहीं है। अपील को सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

कियात्मक आदेश

ग्राम मासिंगपुरा तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा में विवादित आराजीयात **खसरा न0 1635/226, 1637/227,1639/228,1642/381,439,1659/443,444,1645/445,448,1648/449,445,457, 1663/1021,1655/1066,1067 कुल किता 15 कुल रकबा 3.36 हे0 एवं 1626/216,1629/216,1632/216,कुल किता 3 कुल रकबा 1.02 हे0 बाबत्** विचाराधीन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय एस0डी0एम रायपुर, दिनांक 12.12.2015 प्रकरण संख्या 89/2015 (उनवानी देवा बनाम छोगा में पारित किया गया) सारहीन होने से खारिज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:55 IST
Reason: SelfAttested